Rs.5 Rs.5 Rs.5 Rs.5 Rs.10 COURT FEE INDIA FIVE RUPEES TEN RUPEES

94

न्यायालय मान0राजस्व मण्डल,म0प्र0ग्वालियर

प्र0क0 - /2016 विविध विविध-9050-पीबीआर-16

दि ग्वालियर डेयरी लिमिटेड ग्वालियर
व्दारा के.सी.जैन,प्रबंधक,ग्वालियर डेयरी
लिमिटेड जिला ग्वालियर ---आवेदक

विरुद्ध

मध्य प्रदेश शासन व्दारा कलेक्टर
जिला ग्वालियर ---अनावेदक

श्री ... द्वारा आज दि. 20/4/16 को प्रस्तुत
क्लार्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

20.4.16

(निगरानी अंतर्गत धारा-32 सहपठित धारा 56, मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 - न्यायालय माननीय अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर व्दारा रिव्यू प्र0क0 23-पीबीआर/2010 में पारित आदेश दिनांक 25-6-13 का पालन कराये जाने वावत्)

महोदय,

विविध आवेदन प्रस्तुत करने के संक्षिप्त कारण

यह कि आवेदक संस्था के स्वत्व एंव स्वामित्व की ग्राम ~~केदारपुर~~ लोहारपुर स्थित कुल किता 38 कुल रकबा 84 वीघा 11 विसवा भूमि है यह भूमि विवादित मानकर पर विभिन्न न्यायालयों में प्रकरण प्रचलित रहे तथा माननीय राजस्व मण्डल म0प्र0ग्वालियर व्दारा प्रकरण क्रमांक 1668-दो/2007 में पारित आदेश दिनांक 20-3-2008 से यह भूमि दि ग्वालियर डेयरी लिमिटेड ग्वालियर के स्वत्व एंव स्वामित्व की घोषित हुई। इस पर मध्य प्रदेश शासन की ओर से अनुविभागीय अधिकारी ग्वालियर ने माननीय अध्यक्ष राजस्व मण्डल, म0प्र0ग्वालियर के समक्ष

Xxxix(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

अनुवृति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक 9050-पीबीआर/2016 विविध जिला ग्वालियर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एंव अभि० के हस्ता.
20.4.16	अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, म0प्र0ग्वालियर व्दारा प्रकरण क्रमांक 23-पीबीआर/2010 पुनरावलोकन में पारित आदेश दिनांक 25-6-13 एंव सदस्य, राजस्व मण्डल, म0प्र0ग्वालियर व्दारा प्रकरण क्रमांक 1668-दो/2007 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 20-3-2008 के पालन कराये जाने हेतु यह विविध आवेदन मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 32 सहपठित 56 के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया है। 2/ आवेदक के अभिभाषक के एंव शासन के पैनल लायर के तर्क सुने गये तथा प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया। 3/ उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि आवेदक संस्था के स्वत्व एंव स्वामित्व की ग्राम लोहारपुर स्थित कुल किता 38 कुल रकबा 84 वीघा 11 विसवा भूमि का विवाद विभिन्न न्यायालयों में प्रचलित रहा है एंव सदस्य, राजस्व मण्डल, म0प्र0ग्वालियर व्दारा प्रकरण क्रमांक 1668-दो/ 2007 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 20-3-2008 एंव अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, म0प्र0ग्वालियर व्दारा प्रकरण क्रमांक 23-पीबीआर/2010 पुनरावलोकन में पारित आदेश दिनांक 25-6-13 अनुसार यह भूमि दि ग्वालियर डेयरी लिमिटेड ग्वालियर के स्वत्व एंव स्वामित्व की पाई गई है। राजस्व मण्डल के आदेश के पालन में अपर तहसीलदार मुरार ग्वालियर ने प्रकरण क्रमांक 151/2008-09 बी 121 में पारित आदेश	

दिनांक 13–8–2009 से खसरों में उक्त भूमि दि ग्वालियर डेयरी लिमिटेड ग्वालियर के नाम अंकित करने के आदेश दिये है परन्तु आवेदक के अभिभाषक के तर्कानुसार हस्तलिखित खसरे में दि ग्वालियर डेयरी लिमिटेड ग्वालियर का नाम दर्ज कर दिया गया है परन्तु कम्प्युराईज्ड खसरे में आवेदक के नाम की प्रविष्टि अभी तक अंकित नहीं की गई है जिसे अंकित कराने का अनुरोध किया गया है।

4/ प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि जब अपर तहसीलदार मुरार ग्वालियर ने प्रकरण क्रमांक 151/2008–09 बी 121 में पारित आदेश दिनांक 13–8–2009 से खसरों में उक्त भूमि दि ग्वालियर डेयरी लिमिटेड ग्वालियर के नाम अंकित करने के आदेश दिये है तब कम्प्युटराईज्ड खसरे में भी तदाशय का सॅशोधन/अंकन करना अनिवार्य है।

5/ अतएव विविध आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार मुरार जिला ग्वालियर को आदेश दिये जाते हैं कि वाद विचारित भूमि के कम्प्युराईज्ड खसरों में तदाशय की प्रविष्टि दर्ज करावें। प्रकरण में अन्य कार्यवाही शेष न रहने से इसी–स्तर पर समाप्त किया जाता है।

सदस्य